न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 203/2019

उनवान :

कृष्ण कुमार पुत्र भीयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. भीयाराम पुत्र मल्लूराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. चानण पुत्र भीयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. पवन कुमार पुत्र भीयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. राधेश्याम पुत्र भीयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
5. तुलछादेवी पत्नि गणेशकुमार पुत्री भीयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
6. अनकौरी पत्नि घनश्याम पुत्री भीयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
7. राजबाला पत्नि राजेन्द्र कुमार पुत्री भीयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
8. आमपति पत्नि रामनिवास पुत्री भीयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
9. शान्ति देवी पत्नि भीयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी
वकील श्री रविन्द्र मोटसरा : प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4
वकील श्री नवीन गोयल : प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9

निर्णय दिनांक : 18-3-2020

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही घोटडा खालसा के खाता 35/39 के खसरा सं0 107 की 4.199 है0, खसरा सं0 142 की 3.503 है0, खसरा 161 की 1.872 है0 कुल 12.710 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भीयाराम के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है एवं इसी प्रकार रोही घोटडा खालसा के खाता सं0 36/40 के खसरा सं0 65 की 0.430 है0 खसरा सं0 66 की 1.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

.12 है0 खसरा सं0 105 की 5.109 है0, खसरा सं0 106 की 1.9350 है0 कुल 8.486 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भीयाराम के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार रोही किंकराली के खाता सं0 82/83 के खसरा सं0 88 में 11.496 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें भीयाराम का 2/6 हिस्सा खातेदारी है।

वदी कृष्ण कुमार व प्रतिवादी सं0 2 ता 4, प्रतिवादी सं0 1 भीयाराम के पुत्र व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 प्रतिवादी स0 1 की पुत्रियां है जो शादी शुदा है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जददी जायदाद पैतृक सम्पति है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 का वादी के दादा मल्लूराम से विरासतन मिली हुई है इसलिए भूमि दादालाई होने के कारण वादी एवं उसके भाईयों का भी जन्म से हक निहित है। प्रतिवादीया सं0 5 ता 8 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है अब प्रतिवादी सं0 5 ता 8 का कोई भी हक व हिस्सा नहीं है।

वादभूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का पारिवारिक सेटलमेंट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने वादभूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन के पक्ष में तर्क कर शुन्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी रामकिशन के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी रामकिशन के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 10 सरकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी कृष्ण कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने हस्तगत वाद रोही मौजा ग्राम घोटड़ा खालसा व किंकराली के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रति प्रमाणित खसरा परिशोधन पत्र भू-प्रवन्ध विभाग ग्राम किंकराली सम्वत् 2029

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित खसरा परिशोधन पत्र भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम घोटड़ा खालसा प्रदर्श 4, प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र में भीयाराम के वारिसान में पत्नि शान्ति, छः पुत्र चानण, पवन कुमार, राधेश्याम, अनकौरी, राजबाला, ओमपति व पुत्री कृष्ण एवं तुलछादेवी होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी डिक्री योग्य होने के कारण किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही घोटडा खालसा के खाता सं0 35/39 के खसरा सं0 107 की 4.99 है0, खसरा सं0 142 की 3.503 है0, खसरा सं0 161 की 1.872 है0 कुल 12.710 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भीयाराम के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इसी प्रकार रोही घोटड़ा खालसा के खाता सं0 36/40 के खसरा स0 65 की 0.430 है0 खसरा सं0 66 की 1.012 है0 खसरा सं0 105 की 5.09 है0, खसरा सं0 106 की 1.9350 है0 कुल 8.486 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भीयाराम के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भीयाराम के बजाय वादी कृष्ण कुमार 1/20 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं0 1 भीयाराम 1/20 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 चानण 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 पवन कुमार 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 राधेश्याम 1/20 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार रोही किंकराली के खाता सं0 82/83 के खसरा सं0 88 में 11.496 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें भीयाराम का 2/6 हिस्सा खातेदारी है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भीयाराम के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक 1/30–1/30 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 5 ता 8 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के हक में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारहठ)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

NOTE- रोही मौजा घोटड़ाखालसा के खाता सं. 35/39 के खसरा सं. 107 से पहले खसरा सं. 10 की 3.136 है0 भूमि भी माप पढ़ी जावें।
20/8/20
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

Note(2) – दिनांक 18.3-2020 को पारित निर्णय में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 प्रत्येक 1/30-1/30 हिस्सा की जगह वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 प्रत्येक 1/15-1/15 हिस्सा पढ़ा जावें।

17/12/20

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner